संख्या-8/2017/210/35-3-2017-1(21)/2016

प्रेषक,

पी.एन. त्रिपाठी ,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 24 मार्च, 2017**

विषय: स्थल परिवर्तन एवं वित्तीय स्वीक़ृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 77/ बी.ए.डी.पी./ स्थल परिवर्तन /2016-17 दिनांक: 03 फरवरी, 2017 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद खीरी के विकास खण्ड-रमियाबेहण मे ग्राम दलराजपुर प्राइमरी स्कूल मार्ग पर पोला सिंह के घर के रास्ते पर 05 दर पुलिया निर्माण कार्य के स्थान पर खैरीगढ़ से मझरा के बीच नाले पर 05 दर पुलिया निर्माण कार्य की एतदद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त संशोधित कार्य कुल लागत रू. 20.61 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-76/2016/1898 /35-3-2016-1(21)/2016 दिनांक: 07 अगस्त, 2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू; 17.01 लाख को प्रथम किश्त के रूप मे समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू. 3.60 लाख (तीन लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

3- सन्दर्भित शासनादेश संख्या-76/2016/1898 /35-3-2016-1(21)/2016 दिनांक: 07 अगस्त, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित शर्तें यथावत लागू रहेगी।

4- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016 -17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 आयोजनागत-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-337-सड़क निर्माण कार्य-03-सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2016/बी-1-746 / दस-2016-231/2016 दिनांक: 22 मार्च,2016 मे प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत के जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(**पी.एन. त्रिपाठी**)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2017/210(1)/35-3-2017-1(21)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, खीरी ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 / ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1/।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, खीरी ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**पी.एन. त्रिपाठी**)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।